# न्यायालय अति0 संभागीय आयुक्त कोटा संभाग कोटा

(निर्णय बईजलास प्रियंका गोस्वामी आर0ए0एस0 अति0 संभागीय आयुक्त कोटा द्वारा आध्यासित)

प्रकरण संख्याः 84/2010/अपील/एल.आर.एक्ट/कोटा
दायरा दिनांकः 23.6.2010
अन्तर्गत धाराः 75 राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956

## उनवान

1. प्रभूलाल आ0 स्व0 नृसिंहलाल जाति महाजन निवासी ग्राम आवां उप तहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. कृष्णमुरारी पुत्र नृसिंहलाल जाति महाजन निवासी ग्राम आवां उपतहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा
3. हेमन्त पुत्र नृसिंहलाल जाति महाजन निवासी ग्राम आवां उप तहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. श्रीमती कान्ताबाई बेवा नृसिंहलाल जाति महाजन निवासी आवां उप तहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा।

...अपीलाट्स

## बनाम

1. राधाकिशन आत्मज गोपीलाल जाति गूजर निवासी ग्राम जांगल्याहेडी उप तहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा।
2. दिनेश कुमार आत्मज राधाकिशन जाति गूजर निवासी ग्राम जांगल्याहेडी उप तहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा (मृतक) :–
   2/1 गीताबाई बेवा स्व दिनेश कुमार जाति गूजर नि0 ग्राम धुरेला तह0 सांगोद
   2/2 अशोक आ0 स्व0 दिनेश कुमार नाबा0 जरिये बलियात माता गीताबाई विधवा पत्नी स्व0 दिनेश कुमार
   2/3 प्रियंका पुत्री स्व0 दिनेश कुमार नाबा0 जरिये बविलायत माता गीताबाई विधवा पत्नी स्व0 दिनेश कुमार जाति गूजर नि0 ग्राम धुरेला तहसील सांगोद जिला कोटा।
   2/4 कस्तूरी बाई पत्नी राधाकिशन जाति गूजर निवासी ग्राम जागल्याहेडी उप तहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा।
3. महावीर आत्मज राधाकिशन जाति गूजर निवासी ग्राम जांगल्याहेडी उपतहसील कनवास तहसील सांगोद जिला कोटा।
4. दी स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये राजकीय अभिभाषक कोटा।

... रेस्पोडेन्ट

उपस्थित : श्री हेमेन्द्र सिंह आसावत अभिभाषक अपीलार्थी
श्री ब्रहमानन्द शर्मा अभिभाषक रेस्पो0

# निर्णय

दिनांक 27.12.2018

अपीलार्थी ने न्यायालय उपजिला कलक्टर सांगोद जिला कोटा (संक्षेप मे अधीनस्थ न्यायालय) द्वारा प्रकरण सं0 147/2006 बउनवान राधाकिशन वगेरा बनाम प्रभूदयाल आदि अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 11.3.2010 (संक्षेप मे अपीलाधीन निर्णय) से अप्रसन्न होकर यह अपील राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 75 अन्तर्गत इस न्यायालय मे पेश की गई।

1 संक्षेप मे अपील के तथ्य इस प्रकार है, कि रेस्पो0 राधाकिशन वगेरा द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट अधीनस्थ न्यायालय ने स्वीकार कर ग्राम आंवा उपतहसील कनवास तहसील सांगोद की खसरा नम्बर 268/2705 की 0.10 है0 पूर्वी ख0 नं0 267 की 0.68 है0 कुल दो किता की 0.78 है0 भूमि रेस्पो0 नम्बर 1 लगायत 3 के तथा इसी प्रकार ख0 नं0 267 की 1.21 है0 भूमि मध्य मे रेस्पो0 नं0 2 के खाते दर्ज किये जाने का इसी प्रकार रेस्पो0 नं0 3 के खसरा नम्बर 267 की 1.21 है0 भूमि पूर्वी दिशा की खाते दर्ज करने का आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के खाते मे ग्राम आवां की खसरा नम्बर 268 की 0.68 है0 ख0 नं0 268/2708 की 1.21 है0 एवं ख0 नं0 268/2705 की 1.11 है पश्चिम तरफ की जुमला 4 किता की 3.10 है0 भूमि खाते दर्ज किये जाने का तदानुसार नक्शा ट्रेस दुरूस्त किये जाने तथा राजस्व रिकार्ड मे अमल दरामद किये जाने का हुक्म जेर अपील पारित करने मे त्रुटि की है। क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट व उसके अभिभाषक को सूचना दिये बिना ही प्रकरण को केम्प कोर्ट कनवास मे रखकर अपीलांट की एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे गलत रूप से उनकी हाजरी दर्ज कर लोक अदालत की भावनाओं से निर्णय पारित जाने हेतु निवेदन पर लोक अदालत केम्प कनवास मे पत्रावली नियत किया जाना वर्णित कर दिया जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट अथवा उसके अभिभाषक ने उक्तानुसार कभी भी निवेदन नही किया था। अतः आदेश प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अधीनस्थ न्यायालय की सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध मनमाने तौर पर की जाने से निरस्त होने योग्य है। ग्राम आंवा की साबिक खसरा नम्बर 551/1 मिन की 19 बीघा 3 बिस्वाभूमि पूर्व अपीलांट 1 लगायत 3 के पिता एवं अपीलांट के पति नृसिंहलाल मुत0 लक्ष्मीनारायण महाजन के खाते एवं कब्जे काश्त मे थी जो उनके स्वर्गवास के पश्चात उनके क्रमशः पुत्र एवं पत्नि होने से कानूनी उत्तराधिकारी होने से अपीलांट के खाते दर्ज हुई थी अपीलांट नं0 1 लगायत 3 के पिता एवं अपीलांट नं0 4 के पति नृसिंहलाल उनके जीवनकाल तक उक्त भूमि पर निरन्तर काबिज रहे तथा उनके स्वर्गवास के उपरांत अपीलांट उक्त भूमि पर निरतंर काबिज चले आ रहे है। उक्त भूमि ख0 नं0 551/2 के पश्चिम मे लगवा स्थित है अर्थात ख0 नं0 551/1 की भूमि के पूर्व मे ख0 नं0 551/2 की भूमि स्थित है उक्तानुसार ही अपीलांट व रेस्पो0 काबिज रहे है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार भू प्रबन्ध विभाग द्वारा साबिक ख0 नं0 551/रकबा 19बीघा 3 बिस्वा के हाल ख0 नं0 267 रकबा 3.10 है0 तथा साबिक ख0 नं0 551/2 रकबा 12 बीघा 6 बिस्वा के नये ख0 नं0 268 रकबा 1.89 है0 एवं ख0 नं0 269 रकबा 0.10 है0 कायम हुये है। अतः मुताबिक मिलान क्षेत्रफल भी अपीलांट के खाते ख0 नं0 267की 3.10 है0 जो 19 बीधा 3 बिस्वा के बराबर होती है तथा रेस्पो0 के खाते 12 बीघा 6 बिस्वा भूमि अर्थात 1.97 है0 भूमि दर्ज होना चाहिये था। रेस्पो0 के खाते 1.99 है0 भूमि दर्ज है। भू प्रबध विभाग के अधिकारी कर्मचारीयो ने अधिकार क्षेत्र से परे जाकर नक्शा ट्रेस मे अपीलांट के खाते की भूमि रेस्पो0 के तथा रेस्पो0 की भूमि अपीलांट के अंकित कर तरमीम कर दी मौके की स्थिति एवं पूर्व कब्जे के अनुसार ख0 नं0 267 की भूमि पश्चिम दिशा मे होना चाहिये था तथा पूवी दिशा मे रेस्पो0 की भूमि ख0 नं0 268 , 268/2705, 2681/2708 एवं खसरा नम्बर 269 होना चाहिये था तथा इनके पश्चिम मे ख0 नं0 267 की भूमि होना चाहिये था। ख0 नं0 268/205 व 2681/2708 ख0 नं0 268 का ही भाग है जिसकी नक्शे मे तरमीम नही हो रही हैं। पटवारी हल्का ने प्रकरण मे वर्णित आराजी से परे जाकर रिपोर्ट पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय ने गौर नही किया केवल नक्शा दुरूस्ती करने से ही प्रकरण का अन्तिम रूप से निस्तारण हो सकता था नक्शे मे केवल ख0 नं0 267 की लोकेशन को ख0 नं0 268/2708, 268 व 269 के स्थान पर तथा ख0 नं0 267 के स्थान पर ख0 नं0 268/2708, 268 व 269

अंकित करने का आदेश पारित करना चाहिये था जिसकी पुष्टि पुराने मौके की स्थिति राजस्व रेकार्ड, मिलान क्षैत्रफल एवं जमाबंदी से भी होती है। मौके पर अपीलांट पूर्ववत 3.10 है0 (19 बीघा 3 बिस्वा) भूमि पर काबिज चले आ रहे है रेस्पो0 की भूमि पर अपीलांट का कब्जा नही है मोके पर रेस्पो0 के कब्जे मे 3.20 है0 भूमि है तथा उनका रकबा पूरा है। ऐसी स्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट के पुराने खाते व कब्जे की भूमि मे से 0.10 है0 भूमि रेस्पो0 कम 1 लगायत 3 के खाते दर्ज किये जाने का जेरअपील आदेश प्रदान करने मे त्रुटि की है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांटस की गैर मौजूदगी मे पटवारी द्वारा बनाई गई रिपोर्ट को आधार बनाकर बिना पक्षकारान की सहमति के हुक्म जेरअपील प्रदान करने मे त्रुटि की है। हुक्म जेरअपील अपीलांट की अनुपस्थिति मे पारित किया गया जिसकी जानकारी सर्वप्रथम पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.5.10 को बताने पर होने उपरांत अपील पेश की गई। अतः डिले कन्डोन किया जाकर अपील को अवधि मध्य मानते हुये अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर हुक्म जेरअपील निरस्त किया जावे तथा ग्राम आंवा के साबिक ख0 नं0 551/1 की 19 बीघा 3 बिस्वा भूमि जिसके नये ख0 नं0 267 रकबा 3.10 है0 कायम हुये है पूर्ववत अपीलांट के खाते दर्ज की जाकर केवल वर्तमान नक्शे मे भूमि की स्थिति ख0 नं0 551/2 के पश्चिम दिशा मे व ख0 नं0 551/2 की भूमि को ख0 नं0 551/1 के पूर्व की दिशा मे पहले की भांति अंकित करने की आज्ञा प्रदान करने की इस्तदुआ की गई।

2 अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन आहूत किया गया तथा अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख प्राप्त होने पर प्रकरण मे बहस विद्वान अभिभाषक अपीलांट व रेस्पो0 सुनी गई।

3 विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपील मे उल्लेखित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि रेस्पो0 कम 1 लगायत 4 ने अधीनस्थ न्यायालय मे धारा 136 एलआरएक्ट अन्तर्गत प्रा0 पत्र इस आशय का पेश किया कि उन्होने ख0 नं0 551/2 की 19 बीघा 16 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्ट्रर्ड बैनामा से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया था। सेटलमेट विभाग ने ख0 नं0 268/2705 की 1.21, ख0नं0 269 की 0.10 व ख0 268 की 0.68 है तथा ख0 नं0 268/2708 की 1.21 है0 भूमि अलग अलग खातो मे गलत दर्ज की गई जबकि ख0 नं0 267 मेरे खाते मे व ख0 नं0 268, 269 अप्रार्थी के खाते दर्ज किया जाकर तदानुसार नक्शे मे तरमीम की जानी चाहिये थी। अधीनस्थ न्यायालय ख0 नं0 269/2705 की 0.10 है पूर्वी ख0 नं0 267 की 0.68 है0 पश्चिमी कुल 0.78 है0 राधाकिशन, गोपीलाल, दिनेश कुमार, महावीर प्रसाद नाबा. के तथा इसी प्रकार ख0 नं0 267 रि 1.21है0 भूमि मध्य मे दिनेश कुमार दर्ज करने व अपीलार्थी के खाते मे ख0 नं0 269 की 0.10 है0 268 की 0.68 है0 ख0 268/2708 की 1.21 है0 व ख0 नं0 268/2705 की 1.11 है0 पश्चिम तरफ की कुल 3. 10 है0 खाते दर्ज कर तदानुसार नक्शा ट्रेस दुरूस्त करने का आदेश पारित कर त्रुटि की है क्योंकि जेरअपील आदेश से स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि का बंटवारा किया है जो धारा 136 एलआरएक्ट मे निहित प्रावधानों के विपरीत होने से आलौच्य आदेश अपास्त किये जाने योग्य है। बहस मे प्रकट किया कि धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की आपसी सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है। आलौच्य निर्णय अपीलांट व उसके अभिभाषक को सूचना दिये बिना ही प्रकरण को केम्प कोर्ट कनवास मे रखकर अपीलांट की एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे गलत रूप से उनकी हाजरी दर्ज कर लोक अदालत की भावनाओं से निर्णय पारित जाने हेतु निवेदन किया जाना वर्णित कर लोक अदालत केम्प कनवास मे सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध मनमाने तौर पर कर निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अतः मे अपील स्वीकार कर जेरअपील निर्णय निरस्त करने का अनुरोध किया।

4 विद्वान अभिभाषक रेस्पो0 ने बहस मे बताया कि अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली केम्प कोर्ट कनवास मे रखकर लोक अदालत की भावना से दोनो पक्षो की उपस्थिति मे राजीनामा अनुसार जेरअपील निर्णय पारित किया है। प्रकरण मे अपीलांट व उसके अभिभाषक उपस्थित रहे है अतः निर्णय किसी भी प्रकार से अवैधानिक नही है। अधीनस्थ न्यायालय का जेरअपील निर्णय न्यायोचित होना प्रकट करते हुये अपील अपीलांट खारिज करने का अनुरोध किया।

5 हमने अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध आधार अभिलेख का आध्योपांत अवलोकन कर बहस विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी एवं रेस्पो0 अभिभाषक पर मनन किया। प्रस्तुत अपील प्रकरण मे अपीलांट की ओर से रेस्पो0 कम 2 दिनेश के फौत होने से उसके कायम मुकामान को रेकार्ड पर लेने हेतु प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 व 9 सीपीसी मय प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ पेश किया गया जिसका रेस्पो0 द्वारा खण्डन नही किया गया है अतः न्यायहित मे प्रार्थना पत्र स्वीकार कर मृतक दिनेश रेस्पो0 कम 2 के कायम मुकामान् को रेकार्ड पर लिया जाकर रेस्पो0 कम–2/1 लगा0 2/4 दर्ज किया गया। अपीलांट द्वारा जेरअपील निर्णय अपीलांट व उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा एक पक्षीय रूप से पारित किया जाना वर्णित करते हुये पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 12.6.2010 को पटवारी हल्का द्वारा बताने पर होना तथा तत्पश्चात नकल प्राप्त कर अपील पेश करना वर्णित करते हुये डिले कन्डोन हेतु प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम के साथ अपील पेश की गई जिसका रेस्पो0 एंव उसके अभिभाषक द्वारा खण्डन नही किया ना ही खण्डन/प्रत्युत्तर मे कोई साक्ष्य सबूत पेश किये है ऐसी स्थिति मे प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों के समर्थन मे अपीलांट द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र मे वर्णित तथ्यों को अविश्वसनीय माने जाने का पत्रवली मे कोई आधार अभिलेख उपलब्ध नही है लिहाजा न्यायहित मे प्रा0 पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार कर अपील पेश करने मे हुई देरी सद्भाविक होने से क्षम्य की जाकर अपील को अवधि मध्य माना जाता है।

6 अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील का गुणावगुण के आधार पर अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना पत्र धारा 136 एलआरएक्ट मे वादग्रंस्त आराजी माल आवां के खसरा नम्बर 268/2705 की 0.10 है0 पूर्वी, ख0 नं0 267 की 0.68 है0 पश्चिमी, कुल 2 किता रकबा 0.78 है0 भूमि रेस्पो0 राधाकिशन, दिनेश कुमार,महावीर प्रसाद नाबा. निवासी जागल्याहेडी के तथा इसी प्रकार खसरा नम्बर 267 की 1.21 है0 भूमि मध्य मे दिनेश कुमार के खाते दर्ज किये जाने व महावीर प्रसाद नाबा. पिता राधाकिशन को खसरा नं0 267 की 1.21 है0 भूमि पूर्वी दिशा मे खाता दर्ज करने तथा अपीलार्थी प्रभूदयाल, कृष्णमुरारी, हेमन्त कुमार व कान्ताबाई के खाते मे ख0 नं0 269 की 0.10 है0, ख0 नं0268 की 0.68 है0, एवं ख0 नं0 268/2708 की 1.21 है0 व ख0 नं0 268/2705 की 1.11 है0 पश्चिम तरफ की कुल 3.10 है0 भूमि दर्ज खाते करने का दिनांक 11.3.2010 को आलौच्य निर्णय पारित किया है। प्रश्नगत प्रकरण मे अपीलार्थी का मुख्य तर्क है कि धारा 136 एलआरएक्ट मे केवल लिपिकीय त्रुटि को ही पक्षकारान की आपसी सहमति से दुरूस्त किया जा सकता है अधीनस्थ न्यायालय ने भूमि का बंटवारा किया है जो विधि विरूद्ध है प्रकरण मे यह भी तर्क रहा है कि आलौच्य निर्णय अपीलांट व उसके अभिभाषक को सूचना दिये बिना ही प्रकरण को केम्प कोर्ट कनवास मे रखकर अपीलांट एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे गलत रूप से उनकी हाजरी दर्ज कर लोक अदालत की भावनाओं से निर्णय पारित जाने हेतु निवेदन किया जाना वर्णित कर लोक अदालत केम्प कनवास मे सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण व अवैध मनमाने तौर पर कर निर्णय पारित कर दिया जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत है। अपीलांट के उपरोक्त तर्क के संबध मे अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध दस्तावेजात/आदेशिका इत्यादि का अवलोकन किया गया। आदेशिका दिनांक 18.1.2010 अनुसार पत्रावली मे आगामी ता0 पेशी 11.3.2010 वास्ते जवाब मे नियत की गई थी जबकि दिनांक 11.3.2010 की आदेशिका मे "प्रकरण मे निर्णय पारित कर पृथक से लिखाया जाकर शामिल मिसल किया जाकर पत्रावली नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो" वर्णित किया गया है। अतः अधीनस्थ न्यायालय की उक्त आदेशिका के अवलोकन से स्पष्ट है कि आदेशिका मे ना तो पक्षकार अथवा उनके अभिभाषक की उपस्थिति के हस्ता0 है तथा ना ही प्रकरण को लोक अदालत केम्प कोर्ट मे रखे जाने हेतु कोई आदेश है। आदेशिका मे पक्षकारान की उपस्थिति के संबध मे भी कोई तथ्य अंकित नही है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे ऐसे कोई दस्तावेज भी उपलब्ध नही है जिससे प्रकरण को केम्प कोर्ट कनवास मे रखने के संबध मे पक्षकारान द्वारा कोई अनुरोध पत्र प्रस्तुत किया गया हो। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे जवाब प्राप्त किये बिना तथा बिना कोई विधिक प्रक्रिया अपनाये अपीलांट एवं उसके अभिभाषक की अनुपस्थिति मे गलत रूप से उनकी हाजरी दर्ज कर लोक अदालत की भावनाओं से निर्णय पारित जाने हेतु निवेदन किया जाना

वर्णित कर लोक अदालत केम्प कनवास मे सम्पूर्ण कार्यवाही त्रुटिपूर्ण व अवैध मनमाने तौर निर्णय पारित किया जाना प्रकट होता है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के विपरीत होने से अपास्त किये जाने योग्य है। प्रकरण मे यह तथ्य भी विवेचनीय है कि राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 के अन्तर्गत ''भूमि अभिलेख अधिकारी किसी भी समय, किसी लिपिकीय गलती और ऐसी गलतियों को विहित रीति से शुद्ध कर सकता है जिनका अधिकार अभिलेख या रजिस्टर मे कर दिया जाना हितबद्ध पक्षकार स्वीकार करे। प्रश्नगत प्रकरण मे उक्त तथ्यों का अभाव रहा है। आलौच्य निर्णय अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण मे बिना हितबद्ध पक्षकारो की सहमति से भूमि का विभाजन कर इन्द्राज दुरूस्त करने का आदेश पारित किया है जो धारा 136 एलआरएक्ट मे विहित प्रावधानो के विपरीत होने से निर्णय दि0 11.3.2010 अपास्त किये जाने योग्य है। फलत् उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर आलौच्य निर्णय दिनांक 11.3.2010 अपास्त कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को रिमांड किये जाने योग्य है।

7 परिणाम स्वरूप उक्त विवेचन अनुसार अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित जेरअपील निर्णय दिनांक 11.3.2010 अपास्त किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आशय के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रकरण मे पक्षकारान को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान कर राज0 भू राजस्व अधिनियम की धारा 136 मे विहित प्रकिया अनुसार प्रकरण मे तथ्यो का समुचित परीक्षण कर पुनः विधिसम्मत एवं तथ्यात्मक निर्णय पारित करे।

8 निर्णय आज दिनांक21.12.2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा अंकित कर सरे ईजलास सुनाया गया।

( प्रियंका गोस्वामी )
अति0 संभागीय आयुक्त
कोटा